न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी:– श्री ब्रजेश कुमार चान्दोलिया आर.ए.एस.

अपील संख्याः–100 / 2022 (GCMS No. 2022 / 105) (धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. भजनबाई आयु करीब 49 साल पत्नी स्व. बद्री
2. राजाबाबू आयु करीब 16 साल पुत्र बद्री नाबालिग
3. हरीबाबू आयु करीब 14 साल पुत्र बद्री नाबालिग
4. गुडिया आयु करीब 13 साल पुत्री बद्री नाबालिग
   समस्त नाबालिग सरपरस्ती माँ स्वयं भजनबाई पत्नी स्व. बद्री जाति मीना निवासी ग्राम बीझौली तहसील सरमथुरा जिला धौलपुर राजस्थान
5. लक्ष्मी आयु करीब 19 साल पुत्री बद्री पत्नी रामविलास उर्फ हलुके जाति मीना निवासी ग्राम बीझौली तहसील सरमथुरा जिला धौलपुर हाल निवासी ग्राम राइडी कैमारा तहसील सबलगढ जिला मुरैना मध्यप्रदेश।
6. पूजा आयु करीब 18 साल पुत्री बद्री पत्नी सन्तराम जाति मीना निवासी बीझौली तहसील सरमथुरा जिला धौलपुर हाल निवासी ग्राम राइडी कैमारा तहसील सबलगढ जिला मुरैना मध्यप्रदेश।

...........अपीलान्टस

बनाम

1. जनकसिंह पुत्र स्व. बैंकट जाति मीना निवासी ग्राम बीझौली तहसील सरमथुरा जिला धौलपुर राज0
2. भागवती पुत्री स्व. दौजी पत्नी लक्ष्मण जाति मीना निवासी कांकरेट तहसील सरमथुरा जिला धौलपुर राज0
3. राजवती पुत्री स्व. दौजी पत्नी हुकमसिंह जाति मीना निवासी इन्दरपुरा तहसील सरमथुरा जिला धौलपुर राज0
4. सरपंच ग्राम पंचायत बीझौली तहसील सरमथुरा जिला धौलपुर राज0
5. राजस्थान सरकार तामील जरिये तहसीलदार तहसील सरमथुरा।
6. उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड सरमथुरा जिला धौलपुर।

..........रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 76 एल.आर.एक्ट विरूद्ध आदेश दिनांक 19.01.2021 उपखण्ड अधिकारी सरमथुरा अपील संख्या 1/2019 उनवानी जनकसिंह बनाम बद्री।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त भरतपुर

उपस्थितिः–

1. अपीलान्ट की ओर से श्री योगेश शर्मा, वकील
2. रेस्पोडेन्टस संख्या 1 की ओर से श्री शरीफ खान, वकील

<u>नि र्ण य</u> **<u>दिनांक : 06.05.2024</u>**

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी सरमथुरा के आदेश दिनांक 19.01.2021 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि आराजी खसरा नम्बर 166, 240, 241, 242, 36, 368, 369, 370, 373, 374, 375, 381, 383, 384, 385, 46, 504, 504, 510, 514, 515, 516, 552, 554, 569, 570, 580, 581, 653, 813, 814, 94, 95, 96, 97 कुल किता 36 रकवा 5.3400 हैक्टे. वांके ग्राम बीझौली के संबंध में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में नामांतरकरण संख्या 36 दिनांक 27.06.2017 ग्राम बीझौली के विरूद्व अपील प्रस्तुत की गई कि उक्त कृषि भूमि में 1/6 भाग का खातेदार काश्तकार था। दौजी का देहान्त हो चुका जिसकी विरासत अपीलांट जनकसिंह, बद्री, राजवती एवं भागवती पर बराबर प्रकान्त हुई किन्तु पटवारी हल्का ने अपीलांट जनकसिंह का नाम छोडते हुये दौजी के एक पुत्र बद्री व दो पुत्री भागवती व राजवती के नाम दाखिला खोल दिया। अपीलांट दौजी का पुत्र है एवं उत्तराधिकारी है जिसको सूचना दिये बिना तथा शिजरा के अभाव में दाखिला खोला गया है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने बिना सक्ष्म तामील के ग्राम पंचायत बीझौली के नामांतरकरण संख्या 36 दिनांक 27.06.2017 को निरस्त कर आदेश दिनांक 19.01.2021 पारित करते हुये तहसीलदार सरमथुरा को पुनः दौजी के वारिसान में अपीलांट को शामिल करते हुये विधिवत नामांतरकरण खोले जाने के आदेश प्रदान कर दिये गये। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्टस संख्या 2 व 3 की ओर से श्री भोलाराम यादव वकील द्वारा वकालतनामा पेश किया। बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। रेस्पो. संख्या 1 की ओर से श्री शरीफ खान वकील उपस्थित।
3. विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष को अपील पर सुना गया।
4. दौराने बहस विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमो एवं प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के तथ्यों को दोहराते हुये किया सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के पति/पिता के विरूद्व बद्री के निधन के उपरान्त कायम मुकाम की कार्यवाही कराये बिना एवं अपीलांट को सुनवाई का मौका दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

किया गया है जिसकी जानकारी अपीलांट को दिनांक 21.07.2022 को रेस्पो. संख्या 1 जनकसिंह ने धमकी दी कि अपीलाधीन कृषि भूमि पर काश्त नहीं करेगा उसने अपीलांट के हक में हुये नामान्तरकरण को निरस्त करा दिया है। रेस्पो. की धमकी से व्यथित होकर अधिवक्ता से पत्रावली का अवलोकन करवाया तब दिनांक 21.07.2022 को अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई। अपीलांट ज्ञान से अविलम्ब अपील प्रस्तुत की जा रही है। न्यायहित में अन्दर अवधि शुमार किया जावें पृथक से विलम्ब को क्षमा करने हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र प्रस्तुत है। साथ ही अपील के साथ धारा 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र पर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट के पति/पिता बद्री के निधन के उपरान्त बिना काय्र मुकाम की कार्यवाही किये और प्रार्थीगण को रिकार्ड पर लिये बिना ही सुनवाई का अवसर नहीं देते हुये आदेश पारित किया है। प्रार्थीगण स्व. बद्री के वारिस एवं उत्तराधिकारी होने के नाते प्रभावित एवं पीडित व्यक्ति हैं जिनको न्यायहित में अपीलाधीन आदेश के विरूद्व प्रस्तुत अपील करने की अनुमति प्रदान किया जाना आवश्यक है। अतः अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.01.2021 के विरूद्व अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे। इसके बाद कथन किया कि अपील प्रस्तुत करने के समय विवादित आराजी के कई दीगर खातेदार काश्तकार थे जिनको अपीलांट ने प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया था। उनको सुनवाई का मौका नहीं मिला। अपीलाधीन प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सरमथुरा ने अपीलांट के पिता एवं अन्य सहखातेदारान की विधिवत तामील नहीं कराई गई तथा सुनवाई का मौका नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय में दौराने विचारण दिनांक 22.10.2020 को बद्री पुत्र दौजी का निधन हो चुका था, परन्तु अपीलाधीन आदेश पारित करने पूर्व मृतक बद्री के वारिसान को रिकार्ड पर नहीं लिया गया और न ही मृतक बद्री के कायम मुकाम की कार्यवाही की गई। अपीलाधीन आदेश मृत व्यक्ति के विरूद्व पारित किया गया है। नामांतरकरण की कार्यवाही एक संक्षिप्त कार्यवाही है जिसमें किसी व्यक्ति के खातेदारी अधिकार तय नहीं किये जा सकते हैं। खातेदारी अधिकार मात्र नियमित वाद में ही तय हो सकते हैं। नामांतरकरण की कार्यवाही में उत्तराधिकार का बिन्दु तय नहीं किया जा सकता है। उत्तराधिकार का बिन्दु एक विस्तृत कार्यवाही है तथा नामांतरकरण की कार्यवाही संक्षिप्त प्रकृति की होती है। अपीलाधीन आदेश में इस बिन्दु पर गौर नहीं कर विधिक प्रावधानों की अवहेलना की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व तथ्यात्मक रिपोर्ट एवं मौका पर्चा रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई। तथ्यात्मक एवं मौका पर्चा रिपोर्ट से यह पूर्णतः साबित था कि दौजी पुत्र मदन की पूर्व से ही पत्नी रामपती मौजूद थी तथा दौजी

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

एवं रामपति से जन्मे पुत्र बद्री तथा पुत्री भागवती एवं रामवती जीवित थी। इसलिए सूआबाई का दौजी के साथ पुनः नाता विवाह होना संभव नहीं था। इस संबंध में कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है। रेस्पो. सं. 1 जनकसिंह ने अपीलांट की खातेदारी की अपीलाधीन कृषि भूमि को अवैध रूप से हडपने के उद्देश्य से अपने समस्त दस्तावेजात आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदान परिचय पत्र आदि में अपने पिता का नाम बैंकट के स्थान पर अवैध रूप से दौजी अंकित करवाया जबकि रेस्पो. सं. 1 जनकसिंह वास्तविकता में बैंकट का पुत्र है। अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण स्व. बद्री के वारिस एवं उत्तराधिकारी है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सरमथुरा के निर्णय से स्व. बद्री के वारिस होने के नाते प्रभावित है तथा पीडित व्यक्ति हैं जिनको न्यायहित में अपीलाधीन निर्णय के विरूद्व अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किया जाना आवश्यक है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.01.2021 उपखण्ड अधिकारी सरमथुरा निरस्त फरमाया जावे। अपीलांट द्वारा अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत यथा 2023(1) डीएनजे (Rev.) पेज 516, 2016(2)डीएनजे (Raj.) पेज 927, 2010(1)आरआरटी पेज 625, 2023(1)डीएनजे (Rev.)पेज 198,

5. दौराने बहस विद्वान वकील रेस्पोडेन्टस द्वारा कथन किया कि पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण संख्या 36 से जो दाखिल खारिज भरा गया उसमें रेस्पो. संख्या 1 का नाम छोड दिया गया। जिसकी अपील रेस्पो. द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में की गई। नामांतरकरण से साथ कोई सिजरा नहीं लगाया गया है। नामांतरकरण उसी दिन पटवारी हल्का द्वारा भरा गया तथा उसी दिन गिरदावर सर्किल द्वारा प्रमाणित किया और उसी दिन सरपंच द्वारा तस्दीक किया गया। इस प्रकार एक ही दिन में सम्पूर्ण कार्यवाही की गई है। बैंकट और दौजी भाई–भाई थे। बैंकट की मृत्यु के बाद नाता प्रथा से सूआबाई को दौजी पुत्र मदन के साथ बैठाया गया। दौजी की मृत्यु हो चुकी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई है। अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में भी जनकसिंह को दौजी का पुत्र माना है। रेस्पो. के जनआधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड एवं जाति प्रमाण पत्र में पिता का नाम दौजी दर्ज है। अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.01.2021 की अपील लगभग 8 माह बाद मियाद बाहर पेश की है। अतः अपीलांटस की अपील खारिज की जावे।

6. प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पर अपीलांटस द्वारा दिये गये तर्कों को नजरअंदाज किया जाना उचित नहीं है। उन्होंने अपने प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त भरतपुर

पति/पिता के विरूद्व बद्री के निधन के उपरान्त कायम मुकाम की कार्यवाही कराये बिना एवं अपीलांट को सुनवाई का मौका दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिसकी जानकारी अपीलांट को दिनांक 21.07.2022 को रेस्पो. संख्या 1 जनकसिंह ने धमकी दी कि अपीलाधीन कृषि भूमि पर काश्त नहीं करेगा उसने अपीलांट के हक में हुये नामान्तरकरण को निरस्त करा दिया है। रेस्पो. की धमकी से व्यथित होकर अधिवक्ता से पत्रावली का अवलोकन करवाया तब दिनांक 21.07.2022 को अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई। जिसका रेस्पोडेन्ट द्वारा अपील लगभग 8 माह बाद पेश करने के कारण खारिज करने का निवेदन किया। अतः उपरोक्त परिस्थितियों के मध्येजनर अपीलांटस का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है और विलम्ब अवधि को माफ किया जाकर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

7. विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। माननीय न्यायालय की न्यायिक नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया। यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि नामांतरकरण मात्र फिस्किल प्रक्रिया है जिसमें अधिकारों का विनिश्चय नहीं होता है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध सम्मनों से जाहिर है कि बद्री की तामील उसकी पत्नि को हुई है जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने पर्याप्त माना है। प्रत्यर्थीगण को सुनवाई का अवसर दिया गया परन्तु बावजूद सूचना प्रत्यर्थीगण अधीनस्थ न्यायायल में अनुपस्थित रहे जिसके कारण उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ऐसा कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है जिससे यह साबित होता हो कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व बद्री की मृत्यु हो चुकी थी। बद्री का नाम नामांतरकरण संख्या 36 में पूर्व से दर्ज है। अतः इसका प्रभाव दौजी के मृत्यु पर उसके वारिसान के नाम नामांतरकरण में किस प्रकार प्रभावित होगा स्पष्ट नहीं है। तहसीलदार सरमथुरा की रिपोर्ट दिनांक 25.06.2019 एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार बैंकट पुत्र मदन एवं दौजी पुत्र मदन भाई–भाई थे। बैंकट की शादी सूआबाई के साथ हुई जिससे दो पुत्री दुलारी व जमुना का जन्म हुआ। बैंकट की मृत्यु उपरान्त सूआबाई को नाता प्रथा से दौजी पुत्र मदन के साथ बैठाया। लिखित मे कोई साक्ष्य नहीं है। दौजी के नाते सूआबाई के बैठने के उपरान्त जनकसिंह का जन्म हुआ। जनकसिंह के सभी साक्ष्यों यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड, मूल निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अंकतालिका आदि में उसके पिता का नाम दौजी होना बताया है। सरपंच ग्राम

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

पंचायत बीझौली सजरा प्रमाण पत्र दिनांक 05.01.2019 के अनुसार जनकसिंह को दौजी का पुत्र माना है परन्तु नामांतरकरण बद्री पुत्र, भागवती, राजवती पुत्रीयान दौजी हिस्सा 1/6 दर्ज किया गया है तथा जनकसिंह का नाम छोड दिया गया जबकि जनकसिंह दौजी का वारिस है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी सिजरा दिनांक 05.01.2019 में जनकसिंह को दौजी का पुत्र बताया है तथा इसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया। अपीलांट का कथन है कि जनक सिंह दौजी का पुत्र न होकर बैंकट का पुत्र था इस कथन को साबित करने के लिए अपीलांट द्वारा किसी सिविल न्यायालय का निर्णय प्रस्तुत नहीं किया क्योंकि प्रश्न सिविल प्रकृति का है। ग्राम पंचायत ने इसको अपने सिजरा में तथा तहसीलदार ने मौतविरान की रिपोर्ट में दौजी का पुत्र बताया है। अपीलांट इस बिन्दु को सिविल न्यायालय से निर्धारण कराने हेतु स्वतंत्र है। विद्वान वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रकरर्णाभिन्न होने से प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता नहीं है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांटस खारिज किये जाने योग्य है।

8. फलस्वरूप अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सरमथुरा का अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.01.2021 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

6/5/24

(ब्रजेश कुमार चान्दोलिया)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर